वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 206/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-09.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 09.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- मेंहनगरः चोरी के 05 मोटरसाइकिल, अवैध असलहा कारतूस व नकदी के साथ 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 21.10.24 को वादी मुकदमा श्रीकान्त पुत्र रामचन्द्र यादव ग्राम असौसा थाना मेंहनगर जिला आजमगढ़ की तहरीरी सूचना कि दिनांक 12.10.2024 को मैं पवनी कलां मेला में अपने भाई की मोटर साइकिल स्प्लेण्डर प्लस UP50 AZ xxxx लेकर गया था। मेला देखने के बाद जब मैं घर जाने के लिए मोटर साइकिल के पास करीब 06.00 बजे शाम को आया तो मेरी मोटर साइकिल चोरी हो गयी थी। मैने काफी तलाश किया और मेले में एलाउन्स कराया था लेकिन मेरी मोटर साइकिल नहीं मिली। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 439/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

दिनांक 08.06.2025 को वादी बनारसी सिह पुत्र स्व0 रामनाथ ग्राम चन्दनी थाना मेहनगर आजमगढ की तहरीरी सूचना कि 24/05/2025 को घिनहापुर अशोक राजभर के यहाँ निमन्त्रण में गया था वहाँ से मेरी गाडी जिसका नं0 UP 50 C J 7257 चोरी हो गयी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 290/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 09.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.आनन्द यादव पुत्र मूलचन्द यादव सा0 दर्रोपुर थाना तरवा आजमगढ 2.मनीष पाल पुत्र सुरेश पाल सा0 बडौरा बुर्जुग थाना जहाना गंज जनपद आजमगढ को घिनहापुर प्राइमरी स्कूल के पास से समय 09.00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अन्य दो अभियुक्तगण 3.दीपक यादव पुत्र लालमणी यादव सा0 शेखुपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 4.सत्यम यादव पुत्र रमेश यादव सा0 भगरा थाना तरवा जनपद आजमगढ मौके से फरार हो गये। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के निशा देही पर 05 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया तथा अभियुक्त मनीष पाल उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर व अभियुक्त आनन्द यादव के पास से एक अदद चाकू बरामद किया गया व 9000 रुपये नकद बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में क्रमशः 1.मु0अ0सं0 291/25 धारा 317(2),319(2),318(4),338,336(3) BNS, 2.292/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 3.मु0अ0सं0 293/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.आनन्द यादव पुत्र मूलचन्द यादव सा0 दर्रोपुर थाना तरवा आजमगढ

2.मनीष पाल पुत्र सुरेश पाल सा0 बडौरा बुर्जुग थाना जहाना गंज जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरणः-

1-05 अदद मोटर साइकिल,

2-एक अदद तमंचा 315 बोर, व एक एदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

3- 9,000 रुपये नकद बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0सं0 291/25 धारा 317(2),319(2),318(4),338,336(3) BNS थाना मेंहनगर, आजमगढ़,

2.मु0अ0सं0 292/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ़,

3.मु0अ0सं0 293/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 439/24 धारा 303(2)/317(2) BNS, थाना मेंहनगर, आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 290/25 धारा 303(2)/317(2) BNS , थाना मेंहनगर, आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 291/25 धारा 317(2),319(2),318(4),338,336(3) BNS , थाना मेंहनगर, आजमगढ़

4.मु0अ0सं0 292/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मेंहनगर, आजमगढ़

5.मु0अ0सं0 293/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह निरीक्षक अपराध जय प्रकाश यादव उ0नि अक्षय प्रताप सिंह मय हमराह थाना मेंहनगर,

आजमगढ़

02. थाना पवईः चोरी की घटना कारित करने वाले 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना-

1. दिनांक 01.06.2025 वादी श्री हरीराम दूबे पुत्र स्व0 उदयराज ग्राम बेलवाई पोस्ट गालिबपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 31.05.25 को उनके घर के ऊपर के कमरे की खिड़की तोड़कर तथा आलमारी एंव बक्सा के ताला तोड़ कर गहने व जेवर नदारद अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/25 धारा-305/331(4) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 08.06.2025 को आवेदक परमेश पुत्र भारत निवासी ग्राम पवई थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 06.06.2025 को समय लगभग 5 बजे सांय को प्रार्थी के घर में सीढी के दरवाजे से अन्दर घुसकर अज्ञात लोगों द्वारा 40 हजार नगद हाथ का ब्रेसलेट सोने की चैन गले की कान का झाला 14 गोल वाली मोती मंगलसूत्र मे पिरोने वाली 4 लम्बी वाली मोती का मंगलसूत्र और कुछ चांदी का सामान जैसे पायल बिछिया चुरा लिया गया है। उक्त घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 172/2025 धारा 331(4),305ए बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

पुलिस अभिरक्षा का विवरणः-

आज दिनांक 09.06.2025 को उ0नि0 ओम प्रकाश मिश्रा व उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ जिसके अवलोकन से पाया गया 02 बाल अपचारी द्वारा घटना कारित की गयी है जिनका फोटो व वीडियो को कस्बा पवई के आसपास के लोगो से तस्दीक कराया गया एवं वादी मुकदमा द्वारा भी फोटो की पहचान करायी गयी तो बालअपचारीगण का नाम प्रकाश में आया, जिनकों भुखली तिराहे के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी के कब्जे से मु0अ0सं0 172/25 अन्तर्गत धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित चोरी गये माल मशरुका 13 नग पीली धातु व 14 नग सफेद धातु आभूषण तथा नगद धनराशि 17,500 रुपया बरामद हुआ एवं मु0अ0सं0 163/25 अन्तर्गत धारा 305/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी गये माल मशरुका में से 06 नग सफेद धातु व नगद धनराशि 6600 रुपया बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोगः

1.मु0अ0सं0 172/25 अन्तर्गत धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 163/25 अन्तर्गत धारा 305/331(4) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

बरामदगी ---

1-13 नग पीली धातु व 14 नग सफेद धातु आभूषण

2- नगद धनराशि 17500 रुपया

3- 06 नग सफेद धातु व नगद धनराशि 6600 रुपया नगद

03. थाना निजामाबादः जानलेवा हमला किये जाने के अभियोग में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनांक 08.06.25 को वादी उमेश चौहान पुत्र स्व0 गनेश चौहान निवासी हुसामपुर बडागाँव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ द्वारा अभियुक्तगण 1.विरेन्द्र चौहान पुत्र मुनेश्वर चौहान 2. धर्मेन्द्र 3.संजय 4. सन्तोष पुत्र गण मुनेश्वर चौहान 5. आकाश 6. प्रफुल्ल पुत्र गण विरेन्द्र चौहान 7. रावी 8. रोहन पुत्रगण धर्मेन्द्र चौहान 9. निलेश 10. विमलेश पुत्रगण दीन दयाल 11. तेजबहादुर पुत्र राम दयाल निवासीगण हुसामपुर बड़ागाँव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध गाड़ी पर धूल फेकना जिससे गाड़ी लेकर गिर जाना तथा लाठी ,डण्डे व धारदार हथियार से लैश होकर हमला कर देना तथा अन्य परिवारवालों को मारपीट कर सर फोड़ देने व हाथ तोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-210/25 धारा- 110,115(2),117(2),131,333,3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 08.06.25 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त नामजद अभियुक्त1.विरेन्द्र चौहान पुत्र मुनेश्वर चौहान 2. आकाश पुत्र विरेन्द्र चौहान 3. रावी उर्फ रवि पुत्र धर्मेन्द्र चौहान 4. निलेश पुत्र रामदयाल 5. विमलेश पुत्र रामदयाल निवासीगण बड़ागाँव हुसामपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ को अभियुक्तों के घर से समय करीब 07.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-210/25 धारा- 110,115(2),117(2),131,333,3(5) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी अभियुक्त-

1.विरेन्द्र चौहान पुत्र मुनेश्वर चौहान उम्र 53 वर्ष
2.आकाश पुत्र विरेन्द्र चौहान उम्र 27 वर्ष
3.रावी उर्फ रवि पुत्र धर्मेन्द्र चौहान उम्र 23 वर्ष
4.निलेश पुत्र रामदयाल उम्र 21 वर्ष
5.विमलेश पुत्र रामदयाल उम्र 20 वर्ष निवासीगण हुसामपुर बडागांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 अनिल कुमार सिंह 2.उ0नि0 शुभम त्रिपाठी 3.हे0का0 लक्षिराम 4.का0 इन्द्र पटेल 5. का0 संजीव शर्मा 6.का0 रवि मौर्या थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

04.थाना दीदारगंजः हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दि0 01.06.2025 को वादी मुकदमा मदनलाल पुत्र बरसातू विंद निवासी ग्राम सुघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ मो0न 9369780189 के लिखित तहरीर के आधार पर ग्राम सुघरपुर मे आयी अवतार विंद की बहन की शादी देखने के लिये वादी का पुत्र मनीष विन्द का जाना जहां पर अभियुक्तगणो द्वारा वादी के पुत्र से पुरानी रंजीश को लेकर विवाद करते हुये गाली गलौज देते हुये लाठी डंडे से मारना पीटना तथा बीच बचाव करने आये वादी के पिता बरसातू उम्र 70 वर्ष को भी लाठी डंडे से मारना पीटना जिससे उनकी मृत्यु हो जाना जिनका शव ओमप्रकाश मिश्रा अस्पताल मे होना तथा अभियुक्तगणो द्वारा जान से मारने की धमके देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 141/25 धारा 105,115(2),352,351(3),3(5)) बीएनएस बनाम 1.राकेश विंद उम्र 47 वर्ष पुत्र मितई विंद 2.भारत विंद उम्र 30 वर्ष पुत्र मितई 3.विवेक विंद उम्र 21 वर्ष पुत्र सुरेन्दर 4.अनिल विन्द उम्र 29 वर्ष पुत्र अशोक 5.राजू विंद उम्र 25 वर्ष पुत्र सिधारी समस्त निवासीगण ग्राम सुघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ पंजीकृत हुआ। अभियुक्तगण उपरोक्त मुकदमे मे वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 09.06.2025 व0उ0नि0 अनिल कुमार सिह मय हमराह उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.भारत बिन्द पुत्र मितई बिन्द ग्राम सूघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 30 वर्ष, 2.विवेक बिन्द पुत्र सुरेन्द्र बिन्द ग्राम सूघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष, 3.अनिल विन्द पुत्र अशोक बिन्द ग्राम सूघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 29 वर्ष को समय करीब 6.10 बजे नियमानुसार मार्टीनगंज (जैगहा मोड) से हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.भारत बिन्द पुत्र मितई बिन्द ग्राम सूघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 30 वर्ष
2. विवेक बिन्द पुत्र सुरेन्द्र बिन्द ग्राम सूघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष
3. अनिल विन्द पुत्र अशोक बिन्द ग्राम सूघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 29 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.भारत बिन्द पुत्र मितई बिन्द ग्राम सूघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र 30 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	246/20	366,496,506,34 भादवि	मछलीशहर	जौनपुर
2	134/24	366,376,313,506,120बी भादवि	दीदारगंज	आजमगढ
3	141/25	105,115(2),352,351(3),3(5) BNS	दीदारगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3.उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

05. थाना-मुबारकपुरः चोरी के सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 08.05.2025 को वादिनी श्रीमती राधिका देवी पत्नी महेश यादव निवासिनी सोनावर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 07.05.2025 को एक अज्ञात व्यक्ति मेरे घर मे घुसकर बक्शा मे रखा नगद रूपया व चांदी का पायल व दो मंगलसूत्र चोरी कर लेना काफी तलाश के बाद भी न मिलने पर प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 190/2025 धारा 305 BNS बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 08.06.2025 उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल सोनकर पुत्र बुझारत सोनकर निवासी गुजरपार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को चोरी के 1400 रुपये तथा दो जोडी चाँदी की पायल सफेद धातु के साथ सिकन्दरपुर पुल के पास से समय करीब 14.30 बजे से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- राहुल सोनकर पुत्र बुझारत सोनकर निवासी गुजरपार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरणः-

1- 1400 रुपये तथा दो जोडी चाँदी की पायल सफेद धातु का

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0 190/2025 धारा 305,317(2) BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 122/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना – मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

06.थाना निजामाबाद: पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनाक 06.06.25 को विपक्षी चन्द्रजीत पुत्र रामवृक्ष निवासी ग्राम चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने पीड़िता का उधार पैसा वापस देने के नाम पर निजामाबाद बाजार बुलाया और एक हजार रूपये मोबाइल में भेज दिया शेष एक हजार रूपये दोस्त से मांग कर देने को बताया। अभियुक्त अपने मोटरसाइकिल से प्राइमरी स्कूल के पास बाग में ले जाकर जबरजस्ती दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट की गयी तथा किसी को बताने पर जान से मारने के धमकी दी गयी, जिसके सम्बन्ध में पीड़िता/वादिनी नें दिनांक 08.06.25 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 207/25 धारा 64(1),115(2),351(3) BNS का अभियोग पंजीकृत कराया। विवेचना थानाध्यक्ष हिरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रारम्भ किया गया और नियमानुसार पीड़िता का बयान व मेडिकल करवाया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 09.06.25 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्द्रजीत पुत्र रामवृक्ष निवासी चड़ई थाना रानी की सरायं जनपद आजमगढ को गन्धुवई मोड के पास से समय करीब 09.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 207/25 धारा 64(1),115(2),351(3) BNS थाना निजामाबाद जनपद

गिरफ्तारी अभियुक्त-

1-चन्द्रजीत पुत्र रामवृक्ष निवासी चड़ई थाना रानी की सरायं जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह 2. का0 विक्रांत विश्वकर्मा 3. का0 संदेश सिंह, म0का0 आरती तिवारी निजामाबाद जनपद आजमगढ़